फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रूडमल बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या : 169/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार (तहसीलदार) ने रिपोर्ट/जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	13.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 0.4400है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 1.0600है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1600है0, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.6000है0 ग्राम बोबाडी में स्थित है। उक्त भूमियों खसरा नम्बर 41 के गत नम्बर 28 खसरा नम्बर 449 के गत खसरा नम्बर 34; खसरा नम्बर 50 व 53 के गत खसरा नम्बर 36/1 है। खसरा नम्बर 36/1 रकबा 3 बीघा के नये खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1600है0 गै0मु0रास्ता एवं खसरा नम्बर 53 रकबा 0.6000है0 बारानी 3 बनाये गये है। हाल ही में हुये बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 36/1 रकबा 3 बीघा बारानी 3 के नये खसरा नम्बर 50 गै0मु0रास्ता गलत कायम किया गया है। खसरा नम्बर 36/1 का रकबा 3 बीघा बारानी 3 है जिसमें कोई रास्ता पूर्व में और वर्तमान में नही है परन्तु खसरा नम्बर 50 व 53 में विभक्त करते हुये दो खसरा बनाकर खसरा नम्बर 50 गै0मु0रास्ता कायम किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। खसरा नम्बर 36/1 का एक ही भूखण्ड होना चाहिये मौके पर कोई रास्ता नही है और ना ही इतने बडे रास्ते की कोई आवश्यकता है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 41 और 49 को भी उनके स्थान से खिसका कर नक्शें में रकबा कम दर्शा दिया गया है। अतः वर्तमान खसरा नम्बर 41, 49, 50, 53 गत खसरा नम्बर 28, 34, 36/1 का वर्तमान नक्शा दुरूस्त कर रकबा बरारी करते हुये पूर्वानुसार नक्शा कायम किया जाकर खसरा नम्बर 50 जो गै0मु0रास्ता में कायम किया गया है को बारानी 3 खातेदारी में दर्ज किया जाने के आदेश दिया जावें।	

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम बोबाडी के खाता सं0 244, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.44है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 1.06है0, किता 2 रकबा 1.50है0 रूडमल पुत्र मु0 मुरलीधर हि0 पूर्ण जाति ब्राहमण सा0देह खातेदार व खाता सं0 242 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.1600है0 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.60है0 किता रकबा 2 रकबा 0.76है0 रूडमल पुत्र भैरूलाल हि0 पूर्ण जाति ब्राहमण सा0बामनवास खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 41 रकबा 0.44है0, साबिक खसरा नम्बर 28 रकबा 0.44है0 तथा खसरा नम्बर 49 रकबा 1.06है0 साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 1.06है0, व हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.16है0, साबिक खसरा नम्बर 36/1 रकबा 0.16है0, व हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 0.60है0 साबिक खसरा नम्बर 36/1 रकबा 0.60है0 दर्ज हुये। हाल खसरा नम्बर 50, 53 के साबिक खसरा नम्बर 36/1 की तरमीम से मिलान किया गया। साबिक नक्शे में 36/1 में हाल खसरा नम्बर 50 की तरमीम नही होकर खसरा नम्बर 36/1 ही तरमीम शुदा है। जिसमें गै0मु0रास्ता तरमीम शुदा नही है। वर्तमान नक्शें में खसरा नम्बर 50 में 6 मी0 चौडाई में रास्ता चालु है एवं शेष भूमि काश्त की जा रही है। खसरा नम्बर 49 का मिलान साबिक खसरा नम्बर 34 व खसरा नम्बर 41 का मिलान साबिक खसरा नम्बर 28 के व हाल खसरा नम्बर 50, 53 का मिलान साबिक खसरा नम्बर 36/1 से करने पर नक्शों का पूर्णतः मिलान नही होता है जिससे सभी खसरा नम्बरान 50, 53, 41, 49 की तरमीम साबिक नक्शें के अनुसार करने पर संलग्न अन्य खसरा नम्बरान प्रभावित होते है एव तदअनुसार अन्य खसरा नम्बरान की दुरूस्ती भी आवश्यक है। अतः दुरूस्ती प्रस्तावित नही की जा सकती है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पाया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 50 जो गै0मु0रास्ता में कायम किया गया है को बारानी 3 खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है जबकि मुताबिक रिपोर्ट पैरोकार के वर्तमान नक्शें मे खसरा नम्बर 50 में 6 मी0 चौडाई में रास्ता चालु है। प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान की दुरूस्ती की जाती है तो अन्य खसरा नम्बर भी प्रभावित होते है। जो दुरूस्ती योग्य नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को दुरूस्तनीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुना गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ